S.No. 2 (j)

स्पीड पोस्ट

7

सं. 21/165/2013-एम एंड जी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

एन डी सी सी-।। भवन, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली, दिनांक : 22/1/14

सेवा में

श्री राजीव खेरे,
गली सं. 3, प्रामे विहार कॉलोनी,
प्रामे नगर, सतना,
मध्य प्रदेश।

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्रदान करना।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगे जाने से संबंधित आपके दिनांक 19.11.2013 के आवेदन तथा गृह मंत्रालय के दिनांक 05.12.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई के संदर्भ में, निम्नलिखित सूचना प्रदान की जाती है :

बिन्दु सं.	उत्तर
1.	राष्ट्रपति की परिलब्धियां एवं पेंशन अधिनियम के अनुसार, राष्ट्रपति की परिलब्धियां 1,50,000/- रु. प्रतिमाह है। पूर्व वित्त मंत्री के रूप में पेंशन के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि मंत्रियों के लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, वे पूर्व संसद सदस्य के रूप में पेंशन के हकदार होते हैं। इसलिए, आपका आवेदन, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत आवश्यक कार्रवाई के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय को अंतरित किया जा रहा है।
2	भारत के संविधान के अनुच्छेद 59 (3) के अनुसार राष्ट्रपति किराए का भुगतान किए बिना अपने सरकारी आवास का प्रयोग करने का हकदार होगा। पदस्थ राष्ट्रपति की अन्य सुविधाओं की जिम्मेवारी, यदि कोई हो, राष्ट्रपति सचिवालय की होती हैं।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अनुसार, इस पत्र के विरुद्ध अपील श्री एस. सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव (सी एस) तथा प्रथम अपील प्राधिकारी, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-।। भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली के समक्ष की जा सकती है।

भवदीय,

(आशुतोष जैन)
निदेशक एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

O/e

प्रति प्रेषित : केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद भवन, नई दिल्ली। श्री राजीव कुमार खेरे के दिनांक 19.11.2013 के आर टी आई आवेदन की एक प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत आपके आवेदन के बिन्दु सं. 1 के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए अंतरित की जा रही है जो कि पूर्व वित्त मंत्री/संसद सदस्य के रूप में पेंशन से संबंधित है।

Sd/-

(आशुतोष जैन)
निदेशक एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

15/2013
22/1/2014

अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6) (1) के अंतर्गत

1674/RTI/14
22-11-13

1. आवेदक का नाम .... राजीव कुमार खरे (एड.)
2. पूरा पता/ई-मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित किया जाना है...... गली नं. 3
   .... प्रेम विहार कालोनी प्रेमनगर (सतना) (म.प्र.)
3. दूरभाष क्रमांक 9827590823
4. आवेदन देने का दिनांक 19-11-13
5. कार्यालय का नाम केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी राष्ट्रपति सचिवालय नई दिल्ली
6. चाही गई जानकारी का विवरण ....

   1. राष्ट्रपति महोदय को कितना वेतन प्राप्त होता है राष्ट्रपति जी पूर्व मे वित्त मंत्री रहे तो क्या वहां से कोई पेंशन भी प्राप्त होती है यदि हां तो कितनी पेंशन प्राप्त होती है।
   2. राष्ट्रपति जी को पद पर रहने के दौरान वेतन के अलावा अन्य क्या सुविधाये प्रदान होती है

7. क्या चाहते हैं नकल/निरीक्षण/रिकार्ड का निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना जानकारी
8. आवेदन के साथ अदा किया जाने वाले प्रोसेस फी-रुपये 10/- नगद/स्टॉम्प (बी.पी.एल. सूची के सदस्य को देय नहीं) पोस्टल ऑर्डर
   रसीद क्र. एवं दिनांक ...97F 407610 .... 19/11/13 ....
9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं - हॉं/नहीं
   यदि हां, तो बी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक ....

हस्ताक्षर (आवेदनकर्ता)

टीप :- यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रुपये 5 का स्टॉम्प चस्पा करते हुए रजिस्टर्ड/यू.पी.सी./डाक व्यय सहित स्वयं का पता लिखा हुआ, लिफाफा साथ में संलग्न करें। (बी.पी.एल. सूची के सदस्य को डाक व्यय देय नहीं)

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक........
2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक........
3. संबंधित शाखा/अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी........

11:38 A